(186) (62)

निग० - 5062/2018/रीवा/भू.रा.

न्यायालय श्रीमान राजस्व बोर्ड ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा जिला रीवा (म.प्र.)

कोर्ट फी COURT FEE भारत पाँच रुपये FIVE RUPEES Rs.5 — कोर्ट फी COURT FEE पाँच रुपये FIVE RUPEES — कोर्ट फी COURT FEE INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20

विलोपित / विलोपित / विलोपित / विलोपित

अनिल कचेर तनय श्री लालमणि कचेर उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम देवतालाब तह. मऊगंज उप तह. देवतालाब जिला रीवा (म.प्र.) .... निगरानीकर्ता

बनाम

1. रोहिणी प्रसाद मिश्रा तनय श्री रामशरण मिश्रा उम्र 70 वर्ष
2. अखिलेश मिश्रा तनय श्री कुंजमणि मिश्रा उम्र 40 वर्ष
3. बालेन्द्र मिश्रा पति श्री रोहिणी प्रसाद मिश्रा उम्र 40 वर्ष
4. सावित्री मिश्रा पति श्री इंद्रमणि मिश्रा उम्र 55 वर्ष

सभी निवासी–ग्राम देवतालाब तह. मऊगंज उप तह. देवतालाब जिला रीवा (म.प्र.)

.... गैर–निगरानीकर्तागण

अधि० श्री कृष्णा शुक्ला द्वारा पेश/20-8-18

क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय वृत्त देवतालाब के राजस्व प्रकरण क्र. 76(अ–70)/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 21.05.2018 में पारित अंतरिम आदेश के विरूद्ध दिनांक 14.08.2017।

निगरानी अतंर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959ई.

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित हैं –

1. यह कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सर्किल देवतालाब तह. मऊगंज जिला रीवा (म.प्र.) के द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 21.05.2018 विधि एवं प्रक्रिया तथा मौके की स्थिति व मौजूद दस्तावेजों के विरूद्ध होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

2. यह कि निगरानीकर्ता के पिता द्वारा आ. नं. 63/2 रकवा 05 डिसमिल लगभग 30 वर्ष पूर्व जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय किया था, तब से उक्त भूमि पर निगरानीकर्ता व उसके अन्य भाई निगरानीशुदा भूमि के अंश भाग पर पक्का मकान बनाकर निवासरत हैं।

(62)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R. 5062- रीवा / 18 जिला रीवा

अनिल कचेर विरूद्ध रोहिणी प्रसाद मिश्रा वगैरह

1	2	3
15-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री अरविन्द प्रताप सिंह अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी ~~तहसीलदार~~/ नायब तहसीलदार तहसील देवतालाब के प्रकरण क्रमांक 76/अ-70/ 17-18 में पारित आदेश दिनांक 21-5-18 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 25-3-19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	

भूमि पर निगरानीकर्ता व उसके अन्य भाई निगरानीशुदा भूमि के जरा भाग पर

पक्का मकान बनाकर निवासरत हैं।